BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 03 आरोपियो को सश्रम आजीवन कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्ता 1. श्रीमती बाला पत्नी बिज्जे उर्फ विजयपाल, अभियुक्त 2. अमित पुत्र बिज्जे उर्फ विजयपाल, 3. बिज्जे उर्फ विजयपाल निवासीगण ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पुत्रवधू को दहेज के लिए प्रताड़ित कराना व मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 28.01.2021 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 41/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.04.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.12.2024 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार I (मा0 न्यायालय एडीजे-14/स्पेशल ई.सी. एक्ट बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता बाला, अभियुक्त अमित व बिज्जे उर्फ विजयपाल को सश्रम आजीवन कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव अदाना व श्री योगेश शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर